

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302015
(दूरभाष नं०:-0141-2740837,, फ़ैक्स 0141-2742309, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:-एफ.4(ई)/(कै-259/89)/अलेसे-III/5785-94 दिनांक :- 25/03/25

कार्यालय आदेश


श्री कैलाश चन्द रैगर, कनिष्ठ लेखाकार (स्वैच्छिक सेवानिवृत्त) (लिक नं. 8460) तत्कालीन कार्यालय तहसीलदार मौजमाबाद जिला दूदू को राजस्थान सेवा नियम-1951 के Volume-II के परिशिष्ट IX में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण अवकाश (अवैतनिक) पारिवारिक कारणों के आधार पर तथा राजस्थान सेवा नियम-1951 के नियम-91 के प्रावधान के अनुसार निम्नानुसार उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

क्र.सं.	अवकाश की अवधि एवं प्रकार	कुल दिवस
1	दि. 01.04.2010 से दि. 30.09.2010 (असाधारण अवकाश)	183
2	दि. 01.03.2012 से दि. 30.11.2012 (असाधारण अवकाश)	275
3	दि. 14.02.2024 से दि. 31.07.2024 (असाधारण अवकाश)	169
4	दि. 01.01.2017, दि. 15.07.2017 व दि. 16.07.2017 (उपार्जित अवकाश)	03
	योग	630

कुल 630 दिवस


उक्त कुल 627 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री कैलाश चन्द रैगर, कनिष्ठ लेखाकार (सेवानिवृत्त) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें। राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 20 के अनुसार उक्तानुसार स्वीकृत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) की अवधि की गणना पेंशन योग्य सेवा हेतु नहीं की जावेगी।

उक्त स्वीकृति वित्त (राजस्व) विभाग, राज. जयपुर की डायरी संख्या 380 दिनांक 03.02.2025 से प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी की गई है।


(मूपश माथुर)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.4(ई)/(कै-259/89)/अलेसे-III/5785-94 दिनांक :- 25/03/25
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
3. तहसीलदार, अकलेरा जिला झालावाड़।
4. कोषाधिकारी, झालावाड़।
5. तहसीलदार, मौजमाबाद जिला दूदू।
6. कोषाधिकारी, दूदू।
7. श्री कैलाश चन्द रैगर (लिक नं. 8460) कनिष्ठ लेखाकार तत्कालीन कार्यालय तहसीलदार मौजमाबाद जिला दूदू।
8. निजी सचिव, निदेशक।
9. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली/पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट।


(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-III/III)